न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/198

1. बलराम दास चेला बालदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 23, सीतारामजी का मन्दिर दांता, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर अपील संख्या 50/2021 व विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 10.09.1978 ग्राम नीमावास द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

उपस्थित :–

1. श्री हरिनारायण शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 17.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 30.01.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 26.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नीमावास, पटवार क्षेत्र मोटलावास, भू–अभिलेख नि0 क्षेत्र ग्राम खाटू, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 418 रकबा 6.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 429 रकबा 4.60 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 11.5500 हैक्टेयर अवस्थित है। नामान्तकरण मुताबिक आदेश तहसीलदार क्रमांक 4100–30 दिनांक 04.09.78 की पालना में बलरामदास चेला बालदास के स्थान पर मन्दिर श्री सीतारामजी पुजारी बलरामदास चेला बालदास को स्वामी के नाम तस्दीक किया गया। अपीलान्ट बलरामदास चेला बालदास ने तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 10.09.1978 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2023 द्वारा अपील अपीलान्ट को अस्वीकार करने के आदेश पारित किये गये।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट बलरामदास चेला बालदास द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 30.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम नीमावास पटवार हल्का मोटतावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटू, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 418 रकबा 6.50 हैक्टेयर खसरा नम्बर 425 रकबा 0.13 हैक्टेयर खसरा नम्बर 428 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 429 रकबा 4.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 426 रकबा 0.14 हैक्टेयर खसरा नम्बर 427 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 11.55 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 66 व 68 थे उक्त आराजी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सदैव से अपीलार्थी बलरामदास तथा उनसे पूर्व उनके गुरुजी बालदास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। लेकिन फिर भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तहसीलदार दातारामगढ द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 10.09.1978 मन्दिर श्री सीताराम जी ज़रिये पुजारी बलरामदास चेला बालदास के नाम खातेदारी स्वीकृत कर दी गई। श्रीमानजी अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 110 के विरूद्ध अपील संख्या 50/2021 अधीनस्थ अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के यहां प्रस्तुत की जो अधीनस्थ अदालत के द्वारा अपीलान्ट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं करके मात्र मियाद बिन्दु पर एक नॉन स्पीकिंग आदेश दिनांक 31.01.2023 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा श्रीमान के यहां प्रस्तुत की हैं। अपीलाधीन आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 66 व 68 थे। खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 एवं संवत 2013 से 2016 में अपीलार्थी के गुरु बालदास की खुदकाश्त की भूमि दर्ज है तथा खतौनी बन्दोवस्त (जमाबन्दी) संवत 2011 से 2027 में माफी बालदास चेला किशनदास स्वामी कॉलम संख्या 4 में उपभोक्ता के रूप में तथा कृषक कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त दर्ज किया हुआ है इससे साफ जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि पूर्व में बालदास चेला किशनदास की जागीर की भूमि थी एवं खुदकाश्त की भूमि होने से जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बालदास चेला किशनदास की भूमि रही हैं। बालदास की विरासत में उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज हुई है। इस कारण अपीलाधीन भूमि से मन्दिर श्री सीतारामजी का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है लेकिन तहसीलदार दातारामगढ़ के द्वारा नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 10.09.1978 जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है वह प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य प्रभावी है एवं ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील करने में मियाद का बिन्दु कतई बाधक नहीं हैं।

तहसीलदार दातारामगढ द्वारा दिनांक 10.09.1978 को पारित नामान्तकरण आदेश में यह तथ्य अंकित किया गया है कि "मुताबिक आदेश तहसील क्रमांक 4100–30 दिनांक 04.09.1978 क्रम संख्या 968 के आधार पर खातेदारी बलरामदास के स्थान पर मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित प्रति चाहने पर तहसील कार्यालय द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार दातारामगढ द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 110 स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलार्थी अपीलाधीन भूमि का खातेदार काश्तकार था जिसे उक्त नामान्तकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य था परन्तु तहसीलदार दातारामगढ द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 110 स्वीकार करने से पूर्व ना तो कोई नोटिस इस बाबत प्रदान किया गया एवं ना ही सुनवाई कर अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीकर ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करके जो निर्णय नामान्तकरण के बाबत पारित किया गया है वह विधिक सिद्धान्तों की स्पष्ट अवहेलना कर पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2023 की जानकारी अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उसे नही करवायी जब अपीलान्ट कोर्ट में प्रकरण की जानकारी हेतु आया तो अपीलान्ट का अधिवक्ता मौजूद नहीं मिला एवं अन्य अधिवक्ताओं से जानकारी मिली की वकीलों की हडताल हो गई हैं। इसके पश्चात राज्य के कर्मचारियों की हडताल हो गई जो दिनांक 12.04.2023 से चालू होकर 12.06.2023 को समाप्त हुई उसके पश्चात अपीलान्ट दिनांक 19.06.2023 को सीकर गया तो अधिवक्ता नहीं मिले। पुनः दिनांक 20.06.2023 को जाकर मालूम किया तो पता चला कि अपील दिनांक 30.01.2023 को खारिज हो गई अपीलान्ट पुनः घर आकर रूपयों की व्यवस्था करके दिनांक 21.06.2023 को आकर नकल हेतु दरखास्त पेश की जो उसी रोज प्राप्त हो गई उसके बाद अपीलान्ट जयपुर आकर अपने अधिवक्ता को निर्णय की नकल देकर अपील प्रस्तुत की। चूँकि प्रकरण अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ अदालत का निर्णय भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं गैर कानूनी है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसलिये ऐसे मामले में मियाद का बिन्दु गौण किया जाकर प्रकरण का न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2023 अपास्त किया जाये तथा नामान्तकरण संख्या 110 ग्राम नीमावास तहसील दातारामगढ को खारिज फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खातेदारी अपीलार्थी के नाम पूर्ववत बहाल करने के आदेश फरमाये जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.06.2023 को हुई एवं नकल दिनांक 21.06.2023 को प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामांतकरण मुताबिक आदेश तहसीलदार क्रमांक 4100–30 दिनांक 04.09.1978 की पालना में बलरामदास चेला बालदास के स्थान पर मन्दिर श्री सीतारामजी पुजारी बलरामदास चेला बालदास कौम स्वामी के नाम तस्दीक किया गया है। नामांतकरण दिनांक 10.09.1978 को तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर में दिनांक 10.09.1978 को तस्दीक किये गये नामांतकरण की अपील लगभग 44 वर्ष बाद पेश की गई है। अपील के सलंग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 मियाद अवधि अधिनियम पेश किया गया है जिसमें वर्ष 1978 में दर्ज हुए नामान्तकरण की अपील लगभग 44 वर्ष पश्चात करने के विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के युक्तियुक्त आधारों का खुलासा नहीं होने के कारण विलम्ब को क्षमा किये जाने का अनुदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने व अपील मियाद की समयावधी में नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2023 पारित किये गये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर का अपीलाधीन निर्णय 30.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 30.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर